अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 10/2015- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. (अ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गगग और सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 12ककक के अनुसरण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 16/2014- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 मार्च, 2014 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 204(अ), तारीख 21 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में, --

(क) आरंभिक पैरा में "जहां कि कोई विनिर्माता" शब्दों के स्थान पर, "जहां कोई विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) पैरा 2 में,--

(i) उपपैरा (2) में "जहां पहले चरण" शब्दों के स्थान पर, "जहां कोई रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता पहले चरण" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपपैरा (3) में "उक्त डीलर" शब्दों के स्थान पर, "उक्त रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता या डीलर" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) उपपैरा (5) में "यदि कोई विनिर्माता" शब्दों के स्थान पर, "यदि कोई विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं0 334/5/2015-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण-- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 204(अ) तारीख 21 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।